(80)

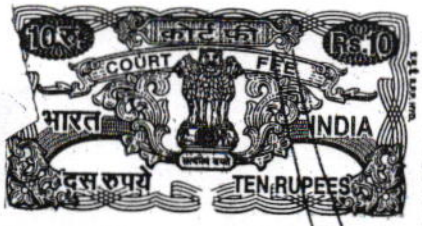

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2014 R - 3527 - III/14

मुन्नवर खाँ आ. श्री अनवर अली आयु वयस्क
निवासी सराय, छावनी, सीहोर तहसील व जिला सीहोर ......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

सईद खॉ आ. श्री नूर खाँ आयु वयस्क
निवासी सयबैद मोहल्ला, गंज, सीहोर ....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10/07/2014 के द्वारा प्रकरण कमांक 01/A-12/2014 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, नजूल सीहोर

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. सईद खाँ विरुद्ध म0प्र0 शासन (सीमांकन प्रकरण) प्रकरण कमांक 01/A-12/14 आदेश दिनांक 10/07/14 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार नजूल सीहोर म0प्र0

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार (नजूल) महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3527–तीन/2014 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
19 –8–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नजूर के प्रकरण कमांक 01/अ–12/14 में पारित आदेश दिनांक 10–7–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा बिना स्वत्व एवं आधिपत्य के प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन बावत आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस पर उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में भी अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो आवेदक की आपत्ति के बाद अनावेदक का सीमांकन आवेदन निरस्त किया गया था। अतः निगरानी स्वीकार की जाये। 3/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक नजूल को सीमांकन हेतु आदेशित किया। राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा विधिवत सीमांकन कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा जिस आदेश दिनांक 10–7–14 को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है वह मात्र प्रतिवेदन है, कोई आदेश नहीं है। अतः बिना किसी आदेश को चुनौती दिये यह प्रकरण प्रीम्च्योर है। तहसीलदार के समक्ष अभी अंतिम	

R 3527-III/14 सीहोर-

निराकरण होना शेष है। आवेदक को अभी अवसर तहसील न्यायालय में उपलब्ध है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनोवदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसपर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 10–7–14 को सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित किया है। आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10–7–14 को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। आवेदक द्वारा जो तर्क इस न्यायालय में उठाये गये हैं वे तहसील न्यायालय में उठा सकते हैं। तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात तथा आवेदक की आपत्ति पर तर्क सुनने के पश्चात आदेश होना शेष है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रीमेच्योर होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देने के उपरांत विधिअनुकूल आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य